# पासपोर्ट शुल्क: 2012 से 2026 (सामान्य दर)

शासन / नागरिक सेवाएँ | समाचार संदर्भ: लोक सभा उत्तर, 31 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 19 अक्टूबर 2026

## पृष्ठभूमि और संदर्भ

पासपोर्ट शुल्क पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 (नियम 8, अनुसूची IV) से बंधा है; शुल्क सहित आवेदन का प्रावधान अधिनियम की धारा 5(1) में है। 1971 से अब तक शुल्क छह बार संशोधित हुआ है। Passport Seva Programme (PSP) सेवा-वितरण का निजी-साझेदारी मॉडल है, और e-Passport ICAO-मानकों के अनुरूप चिप-आधारित बुकलेट है — दोनों को उत्तर ने लागत बढ़ने के कारणों में गिनाया है।

## खबरों में क्यों

31 जुलाई 2026 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2208 (श्री अभिषेक बनर्जी) के उत्तर में विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया: पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 (G.S.R. 516(E)) से 1 जुलाई 2026 को नई दरें लागू हुईं; सामान्य 36-पृष्ठ पासपोर्ट का शुल्क ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500 हुआ; उत्तर के अनुसार “the current increase in passport fees is 67%, after 14 years”; लागत-कारणों में PSP Version 2.0 और e-Passport गिनाए गए। अनुलग्नक-I में नई अधिसूचना और अनुलग्नक-II में 2012-बनाम-2026 की श्रेणी-वार तालिका दी गई।

## एक ही “67%” — पर हर श्रेणी की अपनी बढ़त

उत्तर का शीर्षक-आँकड़ा 67% है, जो अनुलग्नक-II की पहली पंक्ति — सामान्य 36-पृष्ठ fresh/reissue (₹1,500→₹2,500) — से ठीक मिलता है (हमारी गणना 66.7%)। पर उसी तालिका की अन्य पंक्तियाँ अलग कहानी कहती हैं: 60-पृष्ठ +75%, नाबालिग fresh +75%, खोया/क्षतिग्रस्त 60-पृष्ठ +71.4%, नाबालिग खोया +41.7%, PCC/समर्पण प्रमाणपत्र +50% (सभी हमारी गणना)। और Certificate of Identity पर अनुलग्नक-II संशोधित कॉलम में “NA” दर्ज करता है, जबकि नई अधिसूचना (अनुलग्नक-I) में उसकी दर ₹1,000 छपी है — दोनों अंतर जस का तस।

## पासपोर्ट शुल्क: 2012 → 2026 (सामान्य दर, भारत)

31 जुलाई 2026 के लोक सभा जवाब के अनुलग्नक-II पर आधारित; तत्काल दरें सामान्य शुल्क समेत; नई दरें 1 जुलाई 2026 से

### सामान्य fresh/reissue

36-पृष्ठ: ₹1,500 → ₹2,500 (+66.7%*)

60-पृष्ठ: ₹2,000 → ₹3,500 (+75%*)

जवाब का शीर्षक-आँकड़ा "67% (14 वर्ष)" पहली पंक्ति से मेल

### अन्य श्रेणियाँ

खोया 36पृ: ₹3,000→₹5,000 (+66.7%*)
खोया 60पृ: ₹3,500→₹6,000 (+71.4%*)

नाबालिग fresh: ₹1,000→₹1,750 (+75%*)
PCC/समर्पण: ₹500→₹750 (+50%*)

### जवाब में आँकड़ा नहीं

लागत-अध्ययन/RIA/सामर्थ्य-मूल्यांकन का ब्योरा (भाग a)

सेवा-प्रदाता प्रति-आवेदन राशि (भाग d); e-Passport चिप इकाई-लागत (भाग e)

**तत्काल प्रीमियम ₹2,000 → ₹2,500 समान***
Certificate of Identity: अनुलग्नक-II में संशोधित कॉलम "NA", अनुलग्नक-I में ₹1,000 — दोनों छपे अंतर जस का तस।

*प्रतिशत और प्रीमियम हमारी गणना; पंक्ति-वार दरें अनुलग्नक-II से मेल। स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2208, 31.07.2026। मौलिक: pcsmantra.com

मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

## मुख्य तथ्य और आंकड़े

| | |
|---|---|
| **ऐतिहासिक संशोधन-शृंखला (जस का तस)** | **उत्तर में छपे प्रतिशत: 1971 में 67% (4 वर्ष में; G.S.R. 1783, 11.11.1971), 1980 में 100% (9 वर्ष; G.S.R. 691(E), 11.12.1980), 1993 में 500% (13 वर्ष; G.S.R. 503(E), 10.07.1993), 2002 में 233% (9 वर्ष; G.S.R. 235(E), 28.03.2002), 2012 में 50% (10 वर्ष; G.S.R. 731(E), 28.09.2012), और 2026 में 67% (14 वर्ष; G.S.R. 516(E))।** |
| **2026 संशोधन का कानूनी रूप** | पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026; G.S.R. 516(E); अधिनियम की धारा 24 के अधीन; अनुसूची IV प्रतिस्थापित; प्रभावी 1 जुलाई 2026। अधिसूचना पर छपी तारीख 20 जून 2026 है, जबकि उत्तर-पाठ में “dated 25.06.2026” लिखा है — दोनों जस का तस, हम कोई ठीक नहीं करते। |
| **नई दरें — अनुलग्नक-I (भारत, ₹)** | सामान्य 36-पृष्ठ 2,500 / तत्काल 5,000; 60-पृष्ठ 3,500 / 6,000; खोया-क्षतिग्रस्त 36-पृष्ठ 5,000 / 7,500; 60-पृष्ठ 6,000 / 8,500; नाबालिग fresh 1,750 / 4,250; नाबालिग खोया 4,250 / 6,750; आपात प्रमाणपत्र: भारत NA, विदेश $15; Certificate of Identity ₹1,000 (तत्काल NA); PCC/ समर्पण/Global Entry सत्यापन ₹750। |
| **2012-बनाम-2026 — अनुलग्नक-II, हमारी गणना** | पंक्ति-वार बढ़त (सामान्य दर): पंक्ति 1: 1,500→2,500 = +66.7%; पंक्ति 2: 2,000→3,500 = +75%; पंक्ति 3: 3,000→5,000 = +66.7%; पंक्ति 4: 3,500→6,000 = +71.4%; पंक्ति 5: 1,000→1,750 = +75%; पंक्ति 6: 3,000→4,250 = +41.7%; पंक्ति 9: 500→750 = +50%; पंक्ति 7 (EC): दोनों NA; पंक्ति 8 (CoI): पुरानी ₹1,000, संशोधित कॉलम “NA” (अनुलग्नक-I में ₹1,000 — अंतर जस का तस)। |
| **तत्काल प्रीमियम (हमारी गणना)** | 2012 की तालिका में तत्काल = सामान्य + ₹2,000 समान (सभी 6 पासपोर्ट पंक्तियाँ: 1500+2000=3500 से 3000+2000=5000 तक); 2026 में तत्काल = सामान्य + ₹2,500 समान (2500+2500=5000 से 4250+2500=6750 तक)। प्रीमियम 2,000→2,500 (+25%, हमारी गणना)। |
| **छूट और वैधता के नियम** | 8 वर्ष तक के नाबालिग और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को केवल fresh आवेदन (re-issue नहीं) पर 10% छूट। I(a) श्रेणी की वैधता अधिकतम 10 वर्ष; I(b) की 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक, जो पहले |

| | |
|---|---|
| | हो। |

## शुल्क-संरचना कैसे बनती है?

**कानूनी कड़ी:** पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 24 → नियम-संशोधन अधिसूचना (G.S.R.) → अनुसूची IV की प्रतिस्थापना → प्रभावी तारीख (01.07.2026)। शुल्क के साथ आवेदन का बंधन धारा 5(1) और नियम 8 में।

**लागत-घटक (उत्तर में सूचीबद्ध, बिना राशि):** पासपोर्ट बुकलेट लागत; डेटा-प्रिंटिंग; सेवा-प्रदाता भुगतान; पुलिस सत्यापन भुगतान; डाक विभाग भुगतान; कूरियर; तकनीकी सहायता; ePassport परियोजना लागत (ICAO Public Key Directory सत्यापन सहित संचालन-रखरखाव); प्रतिष्ठान एवं बुनियादी ढाँचा व्यय।

**PSP V1.0 से V2.0 और e-Passport:** सेवा-प्रदाता भुगतान Phase-I की तुलना में "has increased" (राशि नहीं दी गई); India Security Press ने चिप-आधारित ePassport बुकलेट की लागत "substantially increased" की (इकाई-लागत नहीं दी गई); personalization और ePassport परियोजना की अतिरिक्त लागतें।

## आँकड़ों को सही पढ़ना

**"67%" किसका है:** यह केवल सामान्य 36-पृष्ठ fresh/reissue श्रेणी से मेल खाता है (हमारी गणना 66.7%)। अन्य श्रेणियों में फैलाव 41.7% से 75% है; CoI पर दो अनुलग्नकों के बीच अंतर (NA बनाम ₹1,000) जस का तस है। उत्तर श्रेणी-वार प्रतिशत स्वयं नहीं देता।

**तारीखों का अंतर:** उत्तर-पाठ में अधिसूचना "dated 25.06.2026", अधिसूचना-पृष्ठ पर 20 जून 2026 — दोनों छपे हैं; हम दोनों दर्ज करते हैं, कारण नहीं बताते। प्रभावी तारीख (01.07.2026) दोनों जगह एक ही है।

**तत्काल = समावेशी दर:** तत्काल कॉलम सामान्य शुल्क समेत की कुल दर है (कॉलम-शीर्षक में छपा "inclusive of normal fee"); प्रीमियम की गणना (2,000→2,500) हमारी है।

**विदेशी दरें डॉलर में:** अनुलग्नक-I में $ दरें (125/175/250/300; नाबालिग 90/215; EC $15; CoI $50; PCC $40) हैं; 2012 की $ दरें उत्तर में नहीं हैं, इसलिए विदेशी-दर बढ़त की तुलना स्रोत से संभव नहीं।

## किन निष्कर्षों से बचना चाहिए?

**लागत-अध्ययन का ब्योरा अनुपलब्ध:** भाग (a) ने cost study, regulatory impact assessment और affordability assessment पूछा; उत्तर "comprehensive review of the cost" कहकर रुक गया — कोई अध्ययन हुआ या नहीं, यह स्रोत स्पष्ट नहीं करता।

**प्रति-आवेदन राशि नहीं:** भाग (d) ने PSP Phase-II का प्रति-आवेदन भुगतान पूछा; उत्तर केवल बढ़त की दिशा बताता है, राशि नहीं — Phase-I से अंतर मापना स्रोत से असंभव।

**चिप इकाई-लागत नहीं:** भाग (e) ने e-Passport चिप की इकाई-लागत और शुल्क-योगदान पूछा; उत्तर "substantially increased" तक सीमित है — संशोधन में चिप की हिस्सेदारी स्रोत से नहीं निकलती।

**"सबकी फीस 67% बढ़ी" पठन गलत:** श्रेणी-वार बढ़त 41.7% से 75% तक है (हमारी गणना); PCC पर 50%, CoI पर अनुलग्नकों का आपसी अंतर — एकल प्रतिशत को सार्वभौम मानना स्रोत के विरुद्ध होगा।

## आगे की राह

हमारा नीति-सुझाव है कि शुल्क-संशोधन के साथ लागत-समीक्षा का सार सार्वजनिक हो: घटक-वार लागत-राशि, सेवा-प्रदाता का प्रति-आवेदन भुगतान (Phase-I/II तुलना), और चिप-बुकलेट की इकाई-लागत अलग से बताई जाए। शीर्षक-प्रतिशत के साथ श्रेणी-वार औसत का एकीकृत विवरण दिया जाए, ताकि “67%” जैसा एकल आँकड़ा श्रेणी-अंतर न छिपाए। और सामर्थ्य (affordability) का संदर्भ — जैसे न्यूनतम मजदूरी या प्रति-व्यक्ति आय से तुलना — भविष्य के संशोधनों का हिस्सा हो।

## अवधारणा में अंतर

सामान्य ≠ तत्काल (तत्काल दर सामान्य शुल्क समेत); fresh ≠ re-issue (10% छूट केवल fresh पर); EC/CoI/PCC जैसे दस्तावेज़ ≠ पासपोर्ट; अधिसूचना-तारीख ≠ प्रभावी तारीख; उत्तर का “67%” ≠ हर श्रेणी की बढ़त।

## मेंस दृष्टि

GS-II: नागरिक-केंद्रित सेवा-वितरण, शासकीय शुल्क-नीति और पारदर्शिता का संगम। उत्तर में तीनों रखें — तंत्र (धारा 24/5(1), अनुसूची IV, G.S.R. शृंखला), आँकड़े (श्रेणी-वार 41.7–75%, तत्काल प्रीमियम ₹2,500, छूट-नियम, $ दरें) और सीमा (लागत-अध्ययन, प्रति-आवेदन राशि और चिप-लागत का अभाव)।

## UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

**सेवा-वितरण की लागत-वसूली और नागरिक सामर्थ्य के बीच संतुलन साधते हुए, 2026 के पासपोर्ट शुल्क-संशोधन की समीक्षात्मक परीक्षा कीजिए।**

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

### उत्तर की रूपरेखा

**भूमिका में:** शुल्क-संशोधन का कानूनी ढाँचा।

**मुख्य भाग में:** 2012-2026 श्रेणी-वार तस्वीर; "67%" का सही अर्थ; लागत-घटक और पारदर्शिता की कमी; सुझाव।

**निष्कर्ष में:** लागत-वसूली और नागरिक सामर्थ्य का संतुलन श्रेणी-वार शुल्क तथा लागत-समीक्षा की पारदर्शिता से परखें; एकल "67%" को सभी श्रेणियों पर लागू न करें और अनुपलब्ध अध्ययन-ब्योरे पर निश्चित दावा न दें।

## स्रोत

- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2208, उत्तर 31.07.2026 (दस पृष्ठ; अधिसूचना और दो अनुलग्नक सहित)

आँकड़े 31 जुलाई 2026 के लोक सभा उत्तर और उसके दो अनुलग्नकों से हैं। अनुलग्नक-II की सभी 9 पंक्तियों की 2012→2026 दरें पंक्ति-वार पढ़ी गईं; प्रतिशत-बढ़त और तत्काल-प्रीमियम हमारी गणना; उत्तर का “67%” पंक्ति-1 से मेल मिलता है। अनुलग्नक-II पंक्ति-8 (CoI) में संशोधित कॉलम “NA” बनाम अनुलग्नक-I में ₹1,000; उत्तर-पाठ की तारीख “25.06.2026” बनाम अधिसूचना-पृष्ठ 20 जून 2026 — दोनों अंतर जस का तस दर्ज।

**यह भी पढ़ें:** कांसुलर सेवाओं में AI अवतार: सहज जानकारी, स्पष्ट जवाबदेही।

**याद रखें:** उत्तर का एकल आँकड़ा “67% after 14 years” केवल सबसे सामान्य श्रेणी की कहानी है; अनुलग्नक-II नौ पंक्तियों की अलग-अलग बढ़त दिखाता है, और जिन तीन सवालों (लागत-अध्ययन, सेवा-प्रदाता राशि, चिप-लागत) में वास्तविक

पारदर्शिता थी, वहीं उत्तर सामान्य वाक्यों में रुक जाता है।